और रेख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
.02.20	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 8/6/17 से आवेदक लगातार अनुपस्थित है जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद में कोई अभिरूचि नही है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई संचालित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक की अभिरूचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमंडल पदाधिकारी दुमका अनुमंडल पदाधिकारी दुमका।	